



एसबीआई और इसके पूर्व सहयोगी बैंकों के सेवानिवृत्त बैंक अधिकारियों/कर्मचारियों का संविदा आधार पर नियोजन
विज्ञापन सं. CRPD/RS/2022-23/29

आवेदन का ऑनलाइन पंजीकरण: दिनांक 22.12.2022 से 10.01.2023 तक

भारतीय स्टेट बैंक संविदा के आधार पर निम्नलिखित पद के लिए भारतीय स्टेट बैंक और इसके पूर्व सहयोगी बैंकों (e-ABs) के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के नियोजन के लिए भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है।

उम्मीदवारों से अनुरोध है कि बैंक की वेबसाइट <https://bank.sbi/careers> या <https://www.sbi.co.in/careers> में दिए गए लिंक के माध्यम से ऑन-लाइन आवेदन करें।

- उम्मीदवारों से अनुरोध है कि आवेदन करने से पहले, वे यह सुनिश्चित करें कि वे पात्रता की तिथि पर उक्त पद के लिए दिए गए योग्यता मानदंडों को पूरा करते हैं।
- उम्मीदवारों को सभी अपेक्षित दस्तावेज (नियतकार्य का ब्यौरा, पहचान का प्रमाण, आयु का प्रमाण आदि), अवश्य अपलोड करें ऐसा न करने पर शॉर्टलिस्टिंग/ साक्षात्कार के लिए, उनके आवेदन/ उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।
- उम्मीदवार की उम्मीदवारी/शॉर्टलिस्टिंग अनंतिम होगी और उम्मीदवार के साक्षात्कार (यदि बुलाया जाए तो) के लिए रिपोर्ट किए जाने पर संपूर्ण ब्यौरे/दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों के साथ संतोषजनक सत्यापन किए जाने के अधीन होगा।
- यदि किसी उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है और यदि वह पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है तो उसे साक्षात्कार की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- साक्षात्कार के लिए बुलाए गए उम्मीदवार स्वयं अपने खर्च पर उपस्थित होंगे।
- उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे बैंक की वेबसाइट <https://bank.sbi/careers> या <https://www.sbi.co.in/careers> को नियमित रूप से, विवरणों एवं नई जानकारी (शॉर्टलिस्ट किए गए/चयनित उम्मीदवारों की सूची सहित) हेतु देखें। कॉल (पत्र/सूचना), जहां आवश्यक हो, केवल ईमेल द्वारा भेजी जाएगी (कागजी प्रति नहीं भेजी जाएगी)।
- सभी संशोधन/शुद्धि पत्र केवल बैंक की करियर वेबसाइटों पर ही अपलोड किए जाएंगे।
- यदि अंतिम मेरिट लिस्ट (कट-ऑफ बिंदु पर समान अंक) में एक से अधिक उम्मीदवारों के कट-ऑफ अंकों के रूप में एकसमान अंक आते हैं, तो ऐसे उम्मीदवारों को मेरिट में उनकी आयु के अनुसार अवरोही क्रम में स्थान दिया जाएगा।
- इस कार्यालय को आवेदन एवं अन्य दस्तावेजों की कागजी प्रतियाँ न भेजें।

क. पद/विभाग/रिक्तियाँ/उम्र/तैनाती स्थान/पात्रता/वेतनमान इत्यादि का विवरण:

क्रं.	मापदंड	विवरण											
1.	पद का नाम	वसूली सुलभकर्ता											
2.	प्रयोक्ता विभाग	ऋण निगरानी विभाग											
3.	रिक्तियाँ ^९	मंडल	ग्रेड में सेवानिवृत्त	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	ईडब्ल्यूएस	सामान्य	पीडब्ल्यूडी			
										वीआई	एचआई	एलडी	डी और ई
		अहमदाबाद	JMGS-I	39	6	2	10	3	18	1	1	0	-
		अमरावती	JMGS-I	29	4	2	7	2	14	1	1	0	-
		भुवनेश्वर	JMGS-I	28	4	2	7	2	13	1	1	0	-
		चंडीगढ़	JMGS-I	12	1	0	3	1	7	1	0	0	-
		चेन्नई	JMGS-I	21	3	1	5	2	10	1	0	0	-
		हैदराबाद	JMGS-I	10	1	0	2	1	6	1	0	0	-
		जयपुर	JMGS-I	56	9	4	14	5	24	1	1	1	-
		महाराष्ट्र	JMGS-I	31	5	2	8	3	13	1	1	0	-
		पटना	JMGS-I	34	5	2	8	3	16	1	1	0	-
		तिरुवनंतपुरम	JMGS-I	31	5	2	8	3	13	1	1	0	-
		अहमदाबाद	MMGS-II	30	4	2	7	3	14	1	1	0	-
		अमरावती	MMGS-II	70	11	5	18	7	29	1	1	1	-
		बेंगलुरु	MMGS-II	59	9	4	15	5	26	1	1	0	-
		भुवनेश्वर	MMGS-II	32	5	2	8	3	14	1	1	0	-
		चंडीगढ़	MMGS-II	8	1	0	2	0	5	1	0	0	-
		चेन्नई	MMGS-II	6	0	0	1	0	5	1	0	0	-
		नई दिल्ली	MMGS-II	50	8	3	12	5	22	1	1	0	-
		हैदराबाद	MMGS-II	26	4	1	6	2	13	1	1	0	-
		जयपुर	MMGS-II	7	1	0	1	0	5	1	0	0	-
		कोलकाता	MMGS-II	30	4	2	7	3	14	1	1	0	-
		लखनऊ	MMGS-II	40	6	3	10	4	17	1	1	0	-
		महाराष्ट्र	MMGS-II	30	4	2	7	3	14	1	1	0	-
		गुवाहाटी	MMGS-II	40	6	3	10	4	17	1	1	0	-
		पटना	MMGS-II	29	4	2	7	2	14	1	1	0	-
		तिरुवनंतपुरम	MMGS-II	50	8	3	12	5	22	1	1	0	-
		अहमदाबाद	MMGS-III	7	1	0	1	0	5	1	0	0	-
		अमरावती	MMGS-III	26	4	1	6	2	13	1	1	0	-
		बेंगलुरु	MMGS-III	50	8	3	12	5	22	1	1	0	-
		चेन्नई	MMGS-III	6	0	0	1	0	5	1	0	0	-
		हैदराबाद	MMGS-III	15	2	1	3	1	8	1	0	0	-
		लखनऊ	MMGS-III	12	1	0	3	1	7	1	0	0	-
		महाराष्ट्र	MMGS-III	10	1	0	2	1	6	1	0	0	-
		गुवाहाटी	MMGS-III	5	0	0	1	0	4	1	0	0	-
		पटना	MMGS-III	11	1	0	2	1	7	1	0	0	-
		कुल (ए)		940	136	54	226	82	442	34	21	2	-

सेवानिवृत्त लिपिकीय स्टाफ की रिक्तियां											
मंडल	राज्य/संघ शासित प्रदेश	पदों की कुल संख्या	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	ईडब्ल्यूएस	सामान्य	पीडब्ल्यूडी			
								वीआई	एचआई	एलडी	डी और ई
अहमदाबाद	गुजरात	46	3	6	12	4	21	1	1	0	0
अमरावती	आंध्र प्रदेश	10	1	0	2	1	6	1	0	0	0
भोपाल	मध्य प्रदेश	170	25	34	25	17	69	2	2	2	1
	छत्तीसगढ़	45	5	14	2	4	20	1	1	0	0
भुवनेश्वर	ओडिशा	5	0	1	0	0	4	1	0	0	0
चंडीगढ़	जम्मू और कश्मीर	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	हिमाचल प्रदेश	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	हरयाणा	3	0	0	0	0	3	1	0	0	0
	पंजाब	5	0	0	1	0	4	1	0	0	0
चेन्नई	तमिलनाडु	26	4	0	7	2	13	1	1	0	0
	पांडिचेरी	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
जयपुर	राजस्थान	42	7	5	8	4	18	1	1	0	0
कोलकाता	पश्चिम बंगाल	43	9	2	9	4	19	1	1	0	0
	सिक्किम	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	अंडमान और निकोबार	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
महाराष्ट्र/मुंबई मेट्रो	गोवा	3	0	0	0	0	3	1	0	0	0
	महाराष्ट्र	61	5	4	15	5	32	2	2	0	0
पटना	बिहार	8	1	0	2	0	5	1	0	0	0
	झारखंड	6	0	1	0	0	5	1	0	0	0
तिरुवनंतपुरम	केरल	20	2	0	5	2	11	1	0	0	0
कुल (बी)		498	62	67	88	43	238	22	9	2	1
कुल योग (ए+बी)		1438	198	121	314	125	680	56	30	4	1

\$ - उल्लेखित रिक्तियों की संख्या अस्थायी है और बैंक की वास्तविक रिक्ति के अनुसार भिन्न हो सकती है। पूरी तरह से चयनित उम्मीदवारों में से, शीर्ष 50% उम्मीदवारों को मंडल कार्यालयों द्वारा तुरंत नियोजित किया जाएगा और शेष 50% उम्मीदवारों को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। नियोजित किए जाने वाले पूर्व कर्मचारियों/अधिकारियों के पहले 50% के कार्य-निष्पादन की मंडल कार्यालयों द्वारा कम से कम 3 महीने के लिए समीक्षा की जाएगी और यदि पहले से लगे पूर्व कर्मचारियों/अधिकारियों का कार्य-निष्पादन संतोषजनक है, तो प्रतीक्षा सूची में शामिल कर्मचारी को नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा। \$\$ पीडब्ल्यूडी के लिए रिक्ति क्षैतिज है। # - आरक्षित श्रेणी के ऐसे उम्मीदवारों को आयु में कोई छूट उपलब्ध नहीं होगी।

संक्षेपाक्षर: सामान्य- सामान्य संवर्ग; अ.पि.व.- अन्य पिछड़ा वर्ग; अ.जा.- अनुसूचित जाति, अ.ज.जा.- अनुसूचित जनजाति; ईडब्ल्यूएस- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग; e-ABs - एसबीआई का पूर्ववर्ती सहयोगी बैंक; पीडब्ल्यूडी - बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवार; वीआई - दृष्टि बाधित, एच.आई.- श्रवण बाधित; एलडी - लोकोमोटर दिव्यांगता; डी और ई - दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34(1) डी और ई के तहत प्रदान की गई श्रेणी।

4. नियुक्ति का स्थान@
नियोजित किए गए सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को संबंधित एलएचओ द्वारा तय किए गए अनुसार सीपीसी/क्षेत्रीय कार्यालय/प्रशासनिक कार्यालय/एटीसी (आस्टि ट्रेकिंग केंद्र) या किसी अन्य कार्यालय स्थान/स्थापना में तैनात किया जाएगा।
@ - बैंक अपनी आवश्यकता के अनुसार भारत में कहीं भी पदापित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

5. अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता/ अनुभव/ विशेष कौशल/ अभिरुचि -
शिक्षा: चूंकि, आवेदक एसबीआई के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, इसलिए किसी विशिष्ट शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है।
अनुभव (यदि कोई है): सेवानिवृत्त कर्मिकों के पास संबंधित क्षेत्र में पर्याप्त कार्य अनुभव और समग्र व्यावसायिक क्षमता होनी चाहिए।
विशेष कौशल / अभिरुचि: सेवानिवृत्त कर्मिकों के पास पद के लिए आवश्यकता के अनुसार विशेष कौशल/योग्यता/गुणवत्ता होनी चाहिए।

6. नई नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड (22.12.2022 को)
i. सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु होने पर ही बैंक सेवा से सेवानिवृत्त होना चाहिए। स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त/ त्यागपत्र/ निलंबित या सेवानिवृत्ति की आयु से पहले ही बैंक छोड़ने वाले अधिकारी नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं हैं। तथापि, दिनांक 07.10.2015 के परिपत्र संख्या CDO/P&HRD-PM/58/2015-16 और 05.05.2017 के परिपत्र सं. CDO/P&HRD-PM/12/ 2017-18 के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन करने की तारीख को 58 वर्ष की आयु और सेवा/ पेंशनयोग्य सेवा के 30 वर्ष (दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए) पूरे करने वाले अधिकारी 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर बैंक में नियुक्ति/ सूचीबद्धता के लिए पात्र होंगे।
ii. संविदा के नवीकरण के अधीन नियुक्ति अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही होगी। इस प्रकार, नई नियुक्ति के लिए विज्ञापन की तारीख अर्थात् 22.12.2022 को अधिकतम आयु 63 वर्ष होनी चाहिए।
iii. सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्य-निष्पादन का पिछला रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए और उन्हें बैंक की प्रणालियों और प्रक्रियाओं ऋण/अनर्जक आस्तियों की गहरी जानकारी होनी चाहिए।
iv. सेवाकाल के दौरान सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों की ईमानदारी पिछले कार्यकाल के दौरान संदिग्ध नहीं होनी चाहिए।
v. सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति से पहले की पांच वर्षों की सेवा के दौरान कोई सजा/जुर्माना (निंदा या अधिक) नहीं लगाया जाना चाहिए था।
vi. सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध सीबीआई या अन्य किसी विधि प्रवर्तन एजेंसियों के मामले लंबित नहीं होने चाहिए।
vii. सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखना चाहिए और किसी भी बड़ी बीमारी से पीड़ित नहीं होना चाहिए।
viii. बैंक में सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति संविदा आधार पर होगी और इसे पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए सेवा में विस्तार नहीं माना जाएगा।
ix. एसबीआई और उसके पूर्व सहयोगी बैंकों के बेदाग सेवा रिकॉर्ड के साथ सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों, जो लिपिक या स्केल- I, II और III में सेवानिवृत्त हुए हैं, को उपरोक्त पदों के लिए नियोजन के लिए विचार किया जाएगा।
x. सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी नियुक्ति अवधि के दौरान किसी प्रशासनिक/ वित्तीय अधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे।
xi. संविदा के अंतर्गत वे किसी भी चिकित्सा सुविधा के लिए पात्र नहीं होंगे।
xii. सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी बैंक में उनकी संविदा की अवधि के दौरान किसी अन्य संगठन से कोई कार्य स्वीकार नहीं करेंगे।
xiii. ऊपर उल्लिखित आरक्षित रिक्त-पदों सहित रिक्त-पदों की संख्या अनंतिम है और यह बैंक की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार बदल सकती है।
xiv. ऐसे उम्मीदवार जो ओबीसी श्रेणी से संबंधित हैं लेकिन 'क्रीमी लेयर' से आते हैं, वे ओबीसी आरक्षण के लिए पात्र नहीं होंगे। उन्हें आवेदन में अपनी श्रेणी 'सामान्य' के रूप में दर्शानी चाहिए।
xv. अजा/अजजा/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र जमा करना होगा।
xvi. ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण माँगने वाले उम्मीदवारों द्वारा निर्धारित प्रारूप में एक घोषणा जमा करवानी होगी कि वह आवेदन के ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि को क्रीमी लेयर से नहीं है। ऐसे उम्मीदवारों को उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर 'नॉन क्रीमी लेयर' अनुच्छेद वाला ओबीसी प्रमाण-पत्र जो 01.04.2022 से साक्षात्कार की तिथि के दौरान जारी किया गया हो, जमा करना होगा।
xvii. इंगित अधिकतम आयु सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए है। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु में कोई छूट उपलब्ध नहीं होगी।
xviii. पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार को भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
xix. नियुक्ति में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36039/1/2019-स्थापित (पंजीकृत) दिनांक 31.01.2019 द्वारा शासित है। "ईडब्ल्यूएस रिक्तियाँ अस्थायी हैं और भारत सरकार के अगले निर्देशों और किसी भी मुकदमे के परिणाम के अधीन हैं। यह नियुक्ति अनंतिम है और उचित चैनलों के माध्यम से सत्यापित की जा रही आय और संपत्ति प्रमाणपत्र के अधीन है। डीओपीटी दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सकल वार्षिक आय के आधार पर जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र के प्रस्तुतीकरण पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ उठाया जा सकता है।

क्रं.	मापदंड	विवरण												
7.	सेवा नियम	नियुक्त सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी एसबीआई अधिकारी सेवा नियम या अन्य किसी सेवा शर्त के अधीन नहीं होंगे.												
8.	पीएफ/ बोनस/ पेंशन/ बकाया	संविदा अवधि को सेवानिवृत्त लाभों/ पीएफ/ बोनस/ ग्रेच्युटी आदि के लिए सेवा नहीं माना जाएगा.												
9.	नियुक्ति की अवधि	अनुबंध न्यूनतम 1 वर्ष और अधिकतम 3 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी, जो भी पहले हो, की अवधि के लिए होगा, जो एचआरएमएस अधिकारी के कार्य-निष्पादन की तिमाही समीक्षा के अधीन होगा.												
10.	संविदा की समाप्ति	बैंक में सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति को बैंक में पुनर्नियोजन का मामला नहीं माना जाएगा. बैंक/सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी 30 दिनों की नोटिस अवधि या उसके बदले पारिश्रमिक के भुगतान के विकल्प के साथ किसी भी समय नियोजन के अनुबंध को रद्द/समाप्त कर सकता है.												
11.	संविदा पर नियुक्ति के लिए करार का निष्पादन	कार्य शुरू करने से पहले सेवानिवृत्त कार्मिक को स्टाम्प पर सेवा स्तर करार (एसएलए) निष्पादित करना होगा. सेवानिवृत्त कार्मिक को दिये जाने वाले कार्य के स्वरूप के अनुसार प्रमुख कार्यनिष्पादन मैट्रिक्स, आदि प्रयोक्ता विभाग विभाग/ वॉटिकल द्वारा अलग से निर्दिष्ट किया जायेगा. बैंक में उनकी नियुक्ति की अवधि के दौरान या उसके बाद यह संभावना है कि उन्हें कोई महत्वपूर्ण या गोपनीय स्वरूप की जानकारी हासिल हो जाए. वे उनकी कार्य अवधि के दौरान प्राप्त जानकारी को किसी ऐसे व्यक्ति को प्रकट नहीं करेंगे जो यह जानने/ लेने के लिए प्राधिकृत नहीं है. मंडल/कार्यक्षेत्र/प्रयोक्ता विभाग एक प्रणाली कार्यान्वित कर बैंक के ग्राहकों, दस्तावेजों, रिकॉर्ड और आस्तियों के संबंध में जानकारी की गोपनीयता को सुरक्षित रखना सुनिश्चित करेगा.												
12.	आयकर/ टीडीएस	पारिश्रमिक पर आय कर या अन्य कोई कर देयता आयकर नियमों या अन्य किसी नियमों में वर्णित समय समय पर प्रचलित दर (रों) के अनुसार काटा जाएगा.												
13.	नई नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया	चयन शॉर्टलिस्टिंग और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा. शॉर्टलिस्टिंग: न्यूनतम योग्यता और अनुभव होने मात्र से उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का कोई अधिकार नहीं होगा. बैंक द्वारा गठित शॉर्टलिस्टिंग समिति शॉर्टलिस्टिंग मानदंड निर्धारित करेगी और उसके बाद बैंक द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट कर साक्षात्कार के लिए बुलाए जाएंगे. साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों को बुलाए जाने का बैंक का निर्णय अंतिम होगा. इस संबंध में किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा. साक्षात्कार: साक्षात्कार 100 अंकों का होगा. साक्षात्कार में अर्हक अंक बैंक द्वारा तय किए जाएंगे. इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा. मेरिट सूची: अंतिम चयन के लिए मेरिट सूची केवल साक्षात्कार में प्राप्त अंकों की अवरोही क्रम में तैयार की जाएगी, बशर्ते कि उम्मीदवार न्यूनतम अर्हता अंक हासिल करें. यदि एक से अधिक उम्मीदवार एक समान निर्दिष्ट अंक हासिल करते हैं तो ऐसे उम्मीदवारों की उनकी आयु के आधार पर अवरोही क्रम में मेरिट रैंक प्रदान की जाएगी. पूरी तरह से चयनित उम्मीदवारों में से, शीर्ष 50% उम्मीदवारों को मंडल कार्यालयों द्वारा तुरंत नियोजित किया जाएगा और शेष 50% उम्मीदवारों को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा. नियोजित किए जाने वाले सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के पहले 50% के कार्य-निष्पादन की मंडल कार्यालयों द्वारा कम से कम 3 महीने के लिए समीक्षा की जाएगी और यदि पहले से लगे सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों का कार्य-निष्पादन संतोषजनक है, तो प्रतीक्षा सूची में शामिल सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा. नई नियुक्ति के लिए: i. शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों का साक्षात्कार समिति द्वारा साक्षात्कार लिया जाएगा और इस संबंध में समिति का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा. ii. साक्षात्कार प्रक्रिया में शामिल होने वाले उम्मीदवारों कोई टीए/डीए अदा नहीं किया जाएगा. iii. मेरिट सूची राज्यवार/मंडलवार, श्रेणीवार तैयार की जाएगी, और अधिमानतः उम्मीदवारों को उनके चयन की स्थिति में उस राज्य/मंडल में तैनात किया जाएगा जिसके लिए वे आवेदन कर रहे हैं और अंतर-राज्य/अंतर-मंडल स्थानांतरण के लिए पात्र नहीं होंगे.												
14.	छुट्टियों की संख्या	सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी एक वर्ष की नियुक्ति के दौरान 30 दिन की छुट्टी के लिए पात्र होंगे जिसे बैंक/उस प्राधिकारी के अनुमोदन से नियुक्ति की अवधि के दौरान ले सकेंगे जिसको वे रिपोर्ट करेंगे. छुट्टी की गणना के लिए बीच में पड़ने वाले रविवार/छुट्टियों को शामिल नहीं किया जाएगा. बैंक के पास प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं के मद्देनजर छुट्टी के आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने के विवेकाधिकार का पूर्ण अधिकार होगा. नियुक्ति की अवधि के दौरान न ली गई छुट्टियां प्रायः समाप्त हो जाएंगी. तथापि, यदि छुट्टी प्रशासनिक आधार पर अस्वीकार की जाती है और संविदा अवधि में नहीं ली जाती है तो इसका मौद्रिक क्षतिपूर्ति पैकेज घटक की दर से संविदा अवधि समाप्त होने पर नकदीकरण किया जा सकता है. एक वर्ष से कम या अधिक की अवधि के लिए छुट्टी की पात्रता आनुपातिक आधार पर निर्धारित की जाएगी.												
15.	पारिश्रमिक	पारिश्रमिक मासिक आधार पर अदा किया जाएगा निम्नलिखित रूप में वसूली सुलभकर्ता के लिए <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्रं.</th> <th>सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों का ग्रेड</th> <th>देय मासिक पारिश्रमिक (नियत)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>लिपिकीय</td> <td>Rs.25,000/-</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>JMGS-I</td> <td>Rs.35,000/-</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>MMGS-II & MMGS-III</td> <td>Rs.40,000/-</td> </tr> </tbody> </table> <p>क) उपरोक्त मुआवजा राशि एकमुश्त आधार पर और उनकी पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है. ख) बैंक द्वारा इस अवधि के दौरान न तो कोई आवास/फर्निचर प्रदान किया जाएगा और न ही कोई अन्य लाभ/अनुलाभ/भविष्य निधि/पेंशन निधि और ग्रेच्युटी की सदस्यता प्रदान की जाएगी तथा न ही कोई अन्य दावा स्वीकार किया जाएगा. ग) लागू मौजूदा आयकर नियमों में वर्णित दरों के अनुसार स्रोत पर आयकर की कटौती की जाएगी.</p>	क्रं.	सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों का ग्रेड	देय मासिक पारिश्रमिक (नियत)	1.	लिपिकीय	Rs.25,000/-	2.	JMGS-I	Rs.35,000/-	3.	MMGS-II & MMGS-III	Rs.40,000/-
क्रं.	सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों का ग्रेड	देय मासिक पारिश्रमिक (नियत)												
1.	लिपिकीय	Rs.25,000/-												
2.	JMGS-I	Rs.35,000/-												
3.	MMGS-II & MMGS-III	Rs.40,000/-												
16.	भूमिका एवं जिम्मेदारियां	क) सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों से प्रति दिन कम से कम 100 चूककर्ता उधारकर्ताओं को कॉल करने और एलएएमएस (ऋण खाता प्रबंधन प्रणाली) में रिकॉर्ड करने की अपेक्षा की जाती है. इस कट ऑफ को ऊपर की ओर संशोधित किया जा सकता है जैसा कि संबंधित मंडल द्वारा तय किया जाए. ख) सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी सेवारत कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए लागू या मंडलियों द्वारा अपेक्षित सामान्य कार्य घंटों का पालन करेंगे. वे बैंक के साथ पंजीकृत अपने नामित नंबरों से उन्हें सौंपे गए चूककर्ता उधारकर्ताओं को कॉल करने के लिए जिम्मेदार होंगे. वे उन्हें सौंपे गए चूककर्ता उधारकर्ताओं से विनम्र तरीके से बात करेंगे और उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके कार्य/चूक से बैंक की प्रतिष्ठा/छवि धूमिल न हो. ग) आम तौर पर सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को सीबीएस में एक्सेस करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि आवश्यक हो, तो उन्हें केवल देखने का अधिकार दिया जा सकता है. घ) सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को ऐसा कार्य नहीं सौंपा जाएगा जिसमें वित्तीय लेनदेन शामिल है. ङ) उपरोक्त जिम्मेदारियां केवल सांकेतिक हैं और संपूर्ण नहीं हैं. संबंधित मंडल अपनी विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर अधिक पैरामीटर जोड़ सकते हैं.												
17.	कार्य की पहचान	सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग एलएएमएस (ऋण खाता प्रबंधन प्रणाली) या सॉफ्ट वसूली फॉलोअप के लिए बैंक द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी अन्य वसूली एप्लिकेशन में चूककर्ता ऋण खातों के लिए टेली कॉलिंग/ फालोअप में किया जाएगा.												
18.	पदनाम	सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी, जहां आवश्यक हो, वसूली सुलभकर्ता के रूप में अपने पदनाम का उपयोग कर सकते हैं. सभी नियुक्त सेवानिवृत्त कार्मिकों को उचित फोटो पहचान पत्र जारी किया जाएगा जिसमें एचआरएमएस सं., नियुक्ति की संक्षिप्त जानकारी तथा वैधता अवधि का उल्लेख किया जाएगा.												
19.	कार्य समय	सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी, सेवारत अधिकारी को लागू सामान्य कार्य घंटों का या आवश्यकतानुसार अन्य कार्य घंटों का पालन करेंगे.												

ख. साक्षात्कार के लिए कॉल लेटर:

साक्षात्कार के लिए कॉल लेटर/ सूचना ईमेल द्वारा भेजी जाएगी या बैंक की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी. कोई कागजी प्रति नहीं भेजी जाएगी.

ग. आवेदन कैसे करें:

उम्मीदवारों की सक्रिय ईमेल आईडी होनी चाहिए जिसे परिणाम घोषित होने तक सक्रिय रखा जाए. इससे उन्हें अपना कॉल लेटर/साक्षात्कार संबंधी सूचना आदि ईमेल के माध्यम से प्राप्त करने में सहायता होगी.

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए दिशानिर्देश:

- उम्मीदवार एसबीआई की वेबसाइट <https://bank.sbi/careers> या <https://www.sbi.co.in/careers> पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से अपना ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा.
- ऑनलाइन पंजीकरण के बाद, उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे सिस्टम से उत्पन्न ऑनलाइन आवेदन प्रपत्रों का प्रिन्ट आउट लें.
- उम्मीदवार सर्वप्रथम अपना नवीनतम फोटो और हस्ताक्षर स्कैन करें. ऑनलाइन आवेदन तब तक पंजीकृत नहीं होगा जब तक कि उम्मीदवार 'दस्तावेज कैसे अपलोड करें' के अंतर्गत निदिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी फोटो और हस्ताक्षर अपलोड नहीं कर देता/देती. उम्मीदवार आवेदन को ध्यानपूर्वक पढ़ें. आवेदन पूरी तरह से भरने के बाद ही उम्मीदवार इसे सबमिट करें. यदि एक बार में उम्मीदवार आवेदन नहीं भर पाता है, तो वह पहले से प्रविष्ट जानकारी को सेव कर सकता/सकती है. जब जानकारी/आवेदन को सेव किया जाएगा तो एक अनंतिम पंजीकरण नंबर और पासवर्ड सिस्टम द्वारा बन कर आ जाएगा और यह स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा. **उम्मीदवार इस पंजीकरण नंबर और पासवर्ड को अपने पास लिख कर रखें.** वे पंजीकरण संख्या और पासवर्ड का उपयोग करके सहेजे गए आवेदन को फिर से खोल सकते हैं और यदि आवश्यक हो तो विवरण संपादित कर सकते हैं. कृपया ध्यान दें कि सहेजी गई जानकारी को संपादित करने की यह सुविधा केवल तीन बार उपलब्ध होगी. एक बार आवेदन पूरी तरह से भर जाने के बाद, उम्मीदवार को इसे सबमिट करना चाहिए.

घ. प्रलेखों को अपलोड कैसे करें:

अ. अपलोड किए जाने वाले प्रलेखों का विवरण:

- नवीनतम फोटोग्राफ
- हस्ताक्षर
- पिछले 10 वर्षों के अनुभव का संक्षिप्त विवरण (असाइनमेंट के अनुसार विवरण) (पीडीएफ)
- पहचान का प्रमाण (पीडीएफ)
- जन्म तिथि का प्रमाण (पीडीएफ)
- ईडब्ल्यूएस/जाति प्रमाण-पत्र {अजा/ अजजा/ ओबीसी/ पीडब्ल्यूडी} (यदि लागू हो)
- कोई अन्य दस्तावेज (यदि उपलब्ध हो)

ब. फोटोग्राफ फाइल प्रकार/आकार:

- फोटोग्राफ नवीनतम पासपोर्ट स्टाइल की रंगीन फोटो होनी चाहिए.
- फाइल का आकार 20 केबी-50 केबी और आयाम 200X230 पिक्सल (अधिमानतः) तक होना चाहिए.
- यह सुनिश्चित कर लें कि फोटो रंगीन है, और सफेद या हल्के रंग की पृष्ठभूमि में लिया गया हो.
- शांत चेहरे से सीधे कॅमरे की तरफ देखें.
- फोटो यदि धूप में ली गई हो तो सूरज आपके पीछे रहे या आप छाया में हों ताकि आपकी नजर में तिरछापन न आए या फिर कोई भारी छाया न पड़े.
- यदि आपको फ्लैश का प्रयोग करना होता है, तो आप यह सुनिश्चित करें कि इसमें 'रेड आई' नहीं है.
- यदि आप चश्मा लगाते हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि कोई परछाई नहीं पड़ रही है और आपकी आंखें साफ देखी जा सकती हैं.
- टोपी, हैट और गहरे रंग का चश्मा लगाया जाना स्वीकार्य नहीं है. धार्मिक प्रतीक पगड़ी आदि बांध सकते हैं लेकिन इससे आपका चेहरा न ढकने पाए.
- यह सुनिश्चित करें कि स्कैन किया गया चित्र 50 केबी से अधिक का नहीं है. फाइल का आकार यदि 50 केबी से अधिक का है, तो स्कैनिंग की प्रक्रिया के दौरान डीपीआई रिजोल्यूशन, कलर संख्या आदि के लिए स्कैनर की सेटिंग बदले.

स. हस्ताक्षर फाइल का प्रकार/आकार:

- आवेदक सफेद कागज पर काली स्याही के पैन से हस्ताक्षर करें.
- हस्ताक्षर आवेदक स्वयं करे कोई दूसरा हस्ताक्षर न करें.
- कॉल लेटर तथा जहां आवश्यक होंगे वहां आपके हस्ताक्षर का प्रयोग किया जाएगा.
- फाइल का आकार 10 केबी-20 केबी के बीच का हो और आयाम 140X60 पिक्सल (अधिमानतः) हो.
- यह सुनिश्चित करें कि स्कैन किए गए चित्र का आकार 20 केबी से अधिक नहीं है.
- अंग्रेजी के केपिटल लेटर में किए गए हस्ताक्षर स्वीकार्य नहीं होंगे.

द. प्रलेख की फाइल का प्रकार/आकार:

- सभी दस्तावेज पीडीएफ प्रारूप में हों.
- प्रलेख के पेज का आकार ए4 का हो.
- फाइल का आकार 500 केबी से अधिक नहीं हो.
- प्रलेख को यदि स्कैन किया जा रहा है तो आप यह सुनिश्चित करें कि इसे पीडीएफ के रूप में सेव कर लिया गया है और इसका आकार पीडीएफ के तौर पर 500 केबी से अधिक का नहीं है. फाइल का आकार यदि 500 केबी से अधिक का है तो स्कैनर की सेटिंग की प्रक्रिया के दौरान डीपीआई रिजोल्यूशन, कलर की संख्या आदि समायोजित करें. यह सुनिश्चित कर लें कि अपलोड किए गए प्रलेख साफ और पढ़े जाने योग्य हैं.

य. फोटो/हस्ताक्षर/प्रलेखों को स्कैन करने हेतु दिशा-निर्देश:

- स्कैनर के रिजोल्यूशन को कम से कम 200 डीपीआई (डॉट्स पर इन्च) पर रखें.
- कलर को टू कलर पर सेट करें.
- फोटो/हस्ताक्षर के किनारे तक क्रॉप करके फोटो को स्कैन करें फिर फोटो को अंतिम आकार (जैसा ऊपर बताया गया है) देने के लिए क्रॉप करने हेतु अपलोड एडिटर का प्रयोग करें.
- फोटो/हस्ताक्षर की फाइल जेपीजी या जेपीईजी प्रारूप में हो (यानी फाइल का नाम image01.jpg या image01.jpeg दिखाई दे)
- इमेज के आयाम फोल्डर/फाइल की लिस्टिंग कर जांचे जा सकते हैं या फिर फाइल इमेज के आयकॅन पर माउस को घुमाकर इसे जांचा जा सकता है
- जो उम्मीदवार एमएस विन्डोज़/एमएस ऑफिस का प्रयोग करते हैं, वे आसानी से फोटो और हस्ताक्षर जेपीईजी फॉर्मेट में पा सकते हैं जो कि क्रमशः 50 केबी और 20 केबी से अधिक न होगी, इसके लिए एमएस पेन्ट या एमएस ऑफिस पिक्चर मैनेजर का प्रयोग करना होगा. स्कैन किया गया फोटो या हस्ताक्षर किसी भी फॉर्मेट से जेपीजी (jpg) फॉर्मेट में सेव किए जा सकते हैं. इसके लिए फाइल मेन्यू में 'सेव ऐज' के विकल्प का प्रयोग करना होगा. इमेज मेन्यू द्वारा क्रॉप और रिसाइज (बिंदु 1 और 2 ऊपर देखें जो कि पिक्स्ल आकार के लिए दिया हुआ है) विकल्प चुनकर फाइल के आकार को 50 केबी (फोटो) और 20 केबी (हस्ताक्षर) से कम कराया जा सकता है. इसी तरह से अन्य फोटो एडिटर में भी विकल्प उपलब्ध हैं.
- ऑनलाइन आवेदन फार्म भरते समय उम्मीदवार को एक लिंक उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि वह अपने फोटो और हस्ताक्षर को अपलोड कर सके.

र. प्रलेख अपलोड करने की प्रक्रिया:

- प्रत्येक प्रलेख को अपलोड करने हेतु अलग से लिंक दिए जाएंगे. "अपलोड" का संबंधित लिंक क्लिक करें.
- ब्राउज करके उस जगह को चुनें जहां कि जेपीजी या जेपीईजी, पीडीएफ फाइल को सेव किया गया है.
- फाइल पर क्लिक कर इसे चुनें और अपलोड का बटन क्लिक करें.
- आवेदन सबमिट करने से पहले प्रलेख अपलोड हो गया है और सही तरह से खुल रहा है, इस बात की पुष्टि करने के लिए प्रिव्यू क्लिक करें. यदि फाइल का आकार और प्रारूप बताए अनुसार नहीं है तो इसमें त्रुटि का संदेश आएगा.
- प्रलेख अपलोड हो जाने के बाद/प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद संशोधित/परिवर्तित नहीं हो सकेंगे.
- ऑनलाइन आवेदन फार्म में फोटो/हस्ताक्षर अपलोड कर दिए जाने के बाद उम्मीदवार जांच लें कि फोटो साफ हैं और ये ठीक तरह से अपलोड हुए हैं. फोटो या हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से यदि नहीं दिखें तो उम्मीदवार अपने आवेदन को संशोधित कर सकता/सकती है और अपने फोटो या हस्ताक्षर आवेदन फार्म प्रस्तुत किए जाने से पहले फिर से अपलोड कर सकता/सकती है. **फोटो पर चेहरा या हस्ताक्षर यदि स्पष्ट नहीं हैं तो उम्मीदवार का आवेदन अस्वीकार किया जाएगा.**

ड. सामान्य जानकारी:

- i. पद के लिए आवेदन करने से पहले आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह पद के लिए उपर्युक्त वर्णित योग्यता और अन्य मानदंडों को निर्दिष्ट तारीख को पूरा करता/करती है और कि उसके द्वारा प्रस्तुत ब्यौरा सभी प्रकार से सही है.
- ii. उम्मीदवारों को उन्हीं के हित में यह सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख से पहले समय रहते ही ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर दें और वे अंतिम तारीख का इंतज़ार न करते रहें क्योंकि बाद में हो सकता है कि वेबसाइट को लॉग ऑन करने में डिसकनेक्शन/अक्षमता/फेलियर की स्थिति बन जाए इन्टरनेट पर हैवी लोड या फिर वेबसाइट जाम होने के कारण ऐसा हो जाए. यदि पूर्वोक्त कारणों से यदि एसबीआई के नियंत्रण से बाहर के किसी भी कारण से यदि उम्मीदवार अपना आवेदन समय रहते नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए एसबीआई किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा.
- iii. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार, जैसे उम्मीदवार जिनके लिए किसी आरक्षण का वर्णन नहीं किया गया है, अनारक्षित श्रेणी के लिए घोषित रिक्त पदों के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र हैं बशर्ते वे अनारक्षित श्रेणी के लिए लागू पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हों.
- iv. भर्ती की किसी भी अवस्था में यदि ऐसा पता चलता है कि कोई उम्मीदवार पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता/करती है, तो और/या यह कि उसने गलत/झूठी जानकारी दी है या उसने कोई महत्वपूर्ण जानकारी (रियां) छिपाई है तो उसकी उम्मीदवारी को निरस्त कर दिया जाएगा. इनमें से यदि कोई बात उसकी नियुक्ति के बाद भी पता चलती है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं.
- v. आवेदक को सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदन पूरी तरह से निर्धारित प्रारूप के अनुसार है और सही एवं पूरी तरह से भरा गया है.
- vi. चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति बैंक की आवश्यकता के अनुसार चिकित्सकीय रूप से उपयुक्त पाए जाने के अधीन है.
- vii. उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे संप्रेषण जैसे कॉल लेटर/साक्षात्कार की तारीख की सूचना, आदि प्राप्त करने के लिए अपने ई-मेल को सक्रिय रखें.
- viii. किसी पत्र के मिलने में विलंब होने या न मिलने के लिए बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी.
- ix. चयन की दशा में, उम्मीदवार से अपेक्षा होगी कि वह नियुक्ति प्राप्त करते समय अपने नियोक्ता का उचित कार्यमुक्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें. (यदि लागू हो)
- x. पात्रता, साक्षात्कार अन्य. परीक्षाएं और चयन प्रक्रिया संबंधी के सभी मामलों में बैंक के निर्णय अंतिम और सभी उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होंगे. इस संबंध में किसी अभ्यावेदन पर विचार नहीं जाएगा और न ही इस संबंध में कोई पत्राचार किया जाएगा.
- xi. आवेदन में दी गई जानकारी बाद में गलत पाए जाने पर आवेदक पर दीवानी/फौजदारी मुकदमा किया जा सकता है.
- xii. पात्रता संबंधी मानदंड पूरा करने मात्र से उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का हकदार नहीं है. बैंक के पास उम्मीदवार की योग्यता, उपयुक्तता, अनुभव आदि के संबंध में प्रारंभिक जांच/शार्टलिस्टिंग करने के बाद उचित संख्या में ही उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का अधिकार सुरक्षित है.
- xiii. कई आवेदन होने की स्थिति में, अंतिम मान्य (भरा हुआ) आवेदन को ही रखा जाएगा. साक्षात्कार में एक पद के लिए एक उम्मीदवार द्वारा एकाधिक उपस्थिति को सरासरी तौर पर पूर्णतः अस्वीकृत कर दी जाएगी/उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी.
- xiv. इस विज्ञापन और/या इसके जवाब में आए आवेदन के कारण किसी दावे या विवाद की दशा में कानूनी कार्यवाही मात्र मुंबई और मुंबई स्थित न्यायालयों/न्यायाधिकरणों/मंचों पर ही की जा सकती हैं. किसी भी मुकदमे/विवाद की सुनवाई का एकल व एकमात्र अधिकार क्षेत्र मुंबई ही होगा.
- xv. बैंक को अधिकार होगा कि वह किसी भी अवस्था में पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दे.
- xvi. साक्षात्कार के समय, उम्मीदवार को उसके विरुद्ध लंबित आपराधिक मामलों (यदि कोई हों) का विवरण देना आवश्यक होगा. बैंक अन्य बातों के साथ-साथ पुलिस रिकॉर्ड के सत्यापन सहित स्वतंत्र सत्यापन भी कर सकता है. बैंक ऐसे प्रकटीकरणों और/या सत्यापन के आधार पर नियुक्ति से इनकार करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है.

यदि कोई पूछताछ करनी हो, तो "CONTACT US" इस लिंक पर हमें लिखें जो कि बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है.
(URL - <https://bank.sbi/web/careers/Post-Your-query>)

मुंबई
दिनांक: 22.12.2022

मुद्रण की त्रुटियाँ यदि हों, तो उसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा.
विवाद की स्थिति में अंग्रेजी में जारी विज्ञापन मान्य होगा.

महाप्रबंधक
(आरपी एवं पीएम)